संख्या-5/2017/849/2017/57-2017-36(जी)/2016

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलायुक्त,**
   उत्तर प्रदेश।
2. **समस्त ज़िलाधिकारी,**
   उत्तर प्रदेश।

धर्मार्थ कार्य अनुभाग लखनऊ: १८ सितम्बर, 2017

विषयः **प्रदेश मे स्थापित जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के द्वारा धर्मार्थ कार्य विभाग की सेवाओं को आम जनमानस तक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जन सामान्य को किफायती, पारदर्शी एवं सहज-सुलभ रीति से सेवायें उपलब्ध कराना उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता है। वर्तमान में 133 शासकीय सेवायें ई-डिलीवरी के माध्यम से प्रदेश में स्थापित जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से जन सामान्य को उपलब्ध करायी जा रही है। तत्क्रम में निर्णय लिया गया है कि धर्मार्थ कार्य विभाग की चयनित सेवाओं को आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा संचालित ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में सम्मिलित कर लिया जाये ताकि 133 शासकीय सेवाओं की तरह धर्मार्थ कार्य विभाग की सेवाओं को भी जन सामान्य को जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से भी सुगमतापूर्वक आम जनमानस को उपलब्ध कराया जा सके। इस हेतु धर्मार्थ कार्य विभाग की वेबसाइट **www.updharmarthkarya.in** दिनांक 13 जून, 2017 को प्रारम्भ की गयी है।

1- उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त धर्मार्थ कार्य विभाग की निम्नवत् सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से जन सामान्य को उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

S.No.	Services
1	E-Puja & Online Donation Facility for Shri Kashi Vishwanath Mandir, Varanasi
2	Online Request for Darshnik Sthal Yatra for Senior Citizen of Uttar Pradesh
3	Online Request for Seeking Subsidy by the Pilgrim of Kailash Mansarovar Yatra
4	Online Request for Seeking Subsidy by the Pilgrim of Sindhu Darshan Yatra

2- प्रदेश में स्थापित जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल द्वारा उक्त संदर्भित सेवा को जन सामान्य को उपलब्ध कराये जाने पर विभाग सैद्धान्तिक रूप से सहमत है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- वर्तमान में प्रदेश में स्थापित जन सेवा केन्द्रों पर आम नागरिकों से प्रत्येक शासकीय सेवा के प्रत्येक ट्रान्जेक्शन के लिये निम्नानुसार यूज़र चार्ज निर्धारित है जिसमें विभिन्न स्टेक होल्डर्स का अंश निम्नवत् हैः-

क्र0 सं0	सेवा	विभागीय फीस	यूजर चार्ज का अंश (रू0)				कुल यूजर चार्ज (रू0)
			एस0सी0ए0 /केन्द्र संचालक	सम्बन्धित विभाग	डी0ई0जी0ए0 /लोकवाणी सोसाईटी	सी0ई0जी0	
1.	E-Puja & Online Donation Facility for Shri Kashi Vishwanath Mandir, Varanasi (Except District Banda)	संलग्नक के अनुसार	6	0	7	2	15
2.	Online Request for Darshnik Sthal Yatra for Senior Citizen of Uttar Pradesh (Except District Banda)		6	0	7	2	15
3.	Online Request for Seeking Subsidy by the Pilgrim of Kailash Mansarovar Yatra (Except District Banda)		6	0	7	2	15
4.	Online Request for Seeking Subsidy by the Pilgrim of Sindhu Darshan Yatra (Except District Banda)		6	0	7	2	15
5	E-Puja & Online Donation Facility for Shri Kashi Vishwanath Mandir, Varanasi (District Banda)		7	0	6	2	15
6	Online Request for Darshnik Sthal Yatra for Senior Citizen of Uttar Pradesh (District Banda)		7	0	6	2	15
7	Online Request for Seeking Subsidy by the Pilgrim of Kailash Mansarovar Yatra (District Banda)		7	0	6	2	15
8	Online Request for Seeking Subsidy by the Pilgrim of Sindhu Darshan Yatra (District Banda)		7	0	6	2	15

4- धर्मार्थ कार्य विभाग की चयनित सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेट करने के उपरान्त जन सेवा केन्द्रों से प्रत्येक ट्रान्जेक्शन के लिये बिन्दु संख्या-4 की उपरोक्त तालिका के अनुसार यूजर चार्ज लिया जायेगा (जन सेवा केन्द्र संचालक द्वारा उक्त तालिका हेतु विभागीय फीस संलग्नक-1 के अनुसार विभागीय पोर्टल के पेमेन्ट गेटवे का उपयोग करते हुए किया जायेगा) तथा अगर कोई नागरिक सीधे विभागीय पोर्टल पर सेवा हेतु आवेदन करता है तो उस पर उपरोक्त यूजर चार्जेज़ लागू नहीं होंगे एवं नागरिक अपने क्रिडेट/डेबिट/नेट बैंकिंग से सेवा हेतु उपयुक्त फीस का भुगतान करेगा। इसके अतिरिक्त यदि केन्द्र ऑपरेटर सीधे विभागीय पोर्टल पर सेवा हेतु आवेदन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

करता है तो उस पर भी उपरोक्त यूजर चार्जेज लागू नही होंगे। उक्त के अतिरिक्त पेमेन्ट गेटवे चार्जेज विभागीय फीस एवं यूजर चार्जेज के अतिरिक्त होंगे।

5- धर्मार्थ कार्य विभाग की चयनित सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेट करने हेतु विभागीय नोडल अधिकारी द्वारा एन.आई.सी. की तकनीकि टीम से समन्वय स्थापित किया जायेगा। ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेशन के पश्चात सभी सम्बन्धित स्टेक होल्डर्स द्वारा पायलेट आधार पर टेस्ट रन की कार्यवाही की जायेगी ताकि गो-लाईव के उपरान्त सेवाओं को प्रदान करने में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।

6- यह भी सुनिश्चित किया जाना होगा कि प्रदेष में स्थापित सभी जन सेवा केन्द्रों द्वारा इलेक्ट्रानिक डिलीवरी के माध्यम से सेवाओं को प्रदान किये जाने हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाहियां यथा-इन्टीग्रेशन, प्रषिक्षण सम्बन्धी सामग्री इत्यादि पूर्ण कर ली गई है।

7- आवेदक द्वारा विभाग की सेवाओं को प्राप्त करने हेतु अपने निकटतम जन सेवा केन्द्र में जाकर केन्द्र ऑपरेटर को अनुरोध करना होगा। तदोपरान्त केन्द्र ऑपरेटर ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर लॉगिन करेगा तथा विभागीय पोर्टल पर उनकी सेवाओं से सम्बन्धित ई-फार्म एवं आवश्यक संलग्नको को अपलोड करने के पश्चात इलेक्ट्रानिक प्रणाली के माध्यम से आवेदन पत्र सम्बन्धित विभागीय सक्षम अधिकारी को प्रेषित करेगा।

8- बिन्दु संख्या-8 की समस्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त विभागीय सक्षम अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण विभागीय शासनादेषों एवं नियमों के अनुसार विभागीय पोर्टल के माध्यम से पूर्ण किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार वांछित समस्त कार्यवाहियां शीर्ष-प्राथमिकता पर पूर्ण कराते हुये कृत कार्यवाही से शासन को शीघ्र अवगत कराया जाये।

भवदीय,
अवीनश कुमार अवस्थी
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-5/2017/849/2017/57-2017-36(जी)/2016 तद्दिनांक</u>

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(१) मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
(२) अपर मुख्य सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
(३) राज्य समन्वयक, सेन्टर फॉर ई-गवर्नेन्स, लखनऊ।
(४) एस0आई0ओ0, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
(५) हेड, एसईएमटी, उत्तर प्रदेश।
(६) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी।
(७) प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एल0सी0 लखनऊ।

आज्ञा से,
रघुबीर
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in